

फर्द अहकाम
(नियम 26)

2022/492

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम निम्बाहेडा

पत्थरगढी बनाम जगदीश

किस्मा मुकदमा पत्थरगढी नं. 123 सन्. 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23-5-22	<p>पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थीगण उप0 वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार निम्बाहेडा को 500/- फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता हैं कि वाके मौजा बोरखेडी पटवार हल्का रठाजना तहसील केली की खाता सं 252 आ0न0 872 रकबा 1.4000 हे0 कुल किता 1 रकबा 1.4000 हे0 स्थित हैं । भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढी करे तहसीलदार निम्बाहेडा को हुकमनामा/ आदेश जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़)</p>	